न्यूज़ टुडे

भारत और फिलीपींस ने रणनीतिक साझेदारी कार्य योजना (2025-29) पर हस्ताक्षर किए

भारत और फिलीपींस ने **राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने** पर अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है, जो दोनों देशों के मध्य बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

- **हस्ताक्षर किए गए अन्य प्रमुख समझौतों में शामिल हैं-**
  - "पारस्परिक कानूनी सहायता एवं सजायाफ्ता व्यक्तियों का हस्तांतरण" तथा
  - "विज्ञान, अंतरिक्ष और पर्यटन में सहयोग।"
- भारत ने फिलीपींस के **सॉवरेन डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर** के लिए एक पायलट परियोजना का समर्थन करने की घोषणा की।
- फिलीपींस को **सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र** (IFC-IOR) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।

भारत-फिलीपींस संबंध के प्रमुख आयाम

- **रक्षा सहयोग:** फिलीपींस **ब्रह्मोस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार देश है।**
  - नौसैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए **2024 में मनीला में पहला ट्रैक-1 समुद्री संवाद** आयोजित किया गया था।
- **आर्थिक जुड़ाव:** दोनों देशों के मध्य **द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 तक 3.5 बिलियन डॉलर** तक पहुंच गया था। साथ ही, दोनों के मध्य **अधिमान्य व्यापार समझौते** (PTA) पर वार्ता जारी है।
  - दोनों देश **आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते** का भी लाभ उठा रहे हैं।
- **क्षमता निर्माण एवं शिक्षा:** फिलीपींस, **भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग** (ITEC) के प्रमुख लाभार्थी देशों में से एक है।
- **लोगों के बीच जुड़ाव: सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम को 2019-2023** तक के लिए बढ़ाया गया था। फिलीपींस में **70,000** से अधिक **भारतीय प्रवासी** रहते हैं।

भारत-फिलीपींस के बढ़ते रणनीतिक संबंधों का महत्त्व

- **साझा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण:** हिंद-प्रशांत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता आर्थिक क्षेत्र है, लेकिन यह बढ़ते तनाव और अस्थिरता से भी ग्रस्त है।
  - दोनों देश एक **स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र** का समर्थन करते हैं। फिलीपींस भारत के **MAHASGAR विज़न में एक प्रमुख भागीदार है।**
    - "महासागर/ MAHASAGAR" यानी "**क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति।**"
- **चीन के आक्रामक रुख से निपटना:** 2016 के आर्बिट्रेशन के फैसले ने **दक्षिण चीन सागर** में फिलीपींस के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की पुष्टि की थी और **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय** (UNCLOS) के तहत चीन के "ऐतिहासिक अधिकारों" के दावे को खारिज कर दिया था।
  - भारत के साथ रणनीतिक संबंध फिलीपींस को एक **विश्वसनीय संतुलनकारी साझेदारी** प्रदान करते हैं।
- **बहुपक्षीय संस्थाओं को नया स्वरूप देना:** दोनों देशों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, तकनीकी रूपांतरण, असमानता और सामाजिक न्याय सहित 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए **मौजूदा वैश्विक गवर्नेंस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।**

जैसा कि भारतीय प्रधान मंत्री कहते हैं, "भारत और फिलीपींस अपनी पसंद से मित्र हैं और नियति से साझेदार हैं। हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक दोनों देश साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं।"

रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 की इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त की

रूस ने इसके पीछे **अमेरिका की हालिया सैन्य कार्रवाइयों** का हवाला दिया है। इन कार्रवाइयों में **रूसी तटों के करीब दो परमाणु पनडुब्बियों** को तैनात करने का अमेरिकी आदेश और **फिलीपींस में टाइफून मिसाइल प्रणाली** की तैनाती शामिल है।

इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF) संधि के बारे में

- यह संधि **1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ** के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। इस संधि के तहत **500-5,500 किमी की रेंज की सभी जमीन से प्रक्षेपित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को नष्ट करना आवश्यक था।**
- यह **परमाणु शस्त्रागार को कम** करने, हथियारों की एक पूरी श्रेणी को हटाने तथा सत्यापन के लिए साइट पर निरीक्षण की अनुमति देने वाला पहला बड़ा समझौता था।
- **2019 में अमेरिका के इस संधि से हटने के बाद** यह पहले ही कमजोर हो गई थी।

परमाणु हथियार नियंत्रण पर प्रभाव

- **शस्त्र नियंत्रण फ्रेमवर्क्स का खंडित होना:** देशों के बीच विश्वास कमजोर हुआ है, जिससे भविष्य में परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयास कठिन हो जाएंगे।
- **परमाणु निरस्त्रीकरण पर नकारात्मक प्रभाव:** प्रमुख शक्तियां परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण में तेजी ला रही हैं, जबकि परमाणु हथियार विहीन देश अपनी **परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार** कर रहे हैं। इससे **वैश्विक अस्थिरता बढ़** रही है।
- **शीत युद्ध की राजनीति की वापसी:** संधि के प्रभावहीन होने से शीत युद्ध युग के यूरोपीय मिसाइल संकट के फिर से उभरने की आशंका उत्पन्न हो गई है।
- **सुरक्षा संबंधी जोखिम में वृद्धि:** इस तरह की मिसाइलें बहुत तेजी से लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं, जिससे प्रक्षेपण संबंधी भ्रामक अलर्ट के कारण वैश्विक परमाणु संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है।

प्रमुख परमाणु हथियार नियंत्रण समझौते

- **परमाणु हथियार अप्रसार संधि** (NPT): यह संधि **1970** में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और इनसे संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।
- **स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन्स ट्रीटी** (SORT): यह **2002** में संपन्न अमेरिका-रूस का द्विपक्षीय समझौता है, जो सामरिक परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता है।
- **नई सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि** (New START/ न्यू स्टार्ट): यह अमेरिका और रूस के बीच **2010** का द्विपक्षीय समझौता है, जो सामरिक हथियारों की संख्या को महत्वपूर्ण रूप से सीमित करता है।
- **परमाणु हथियार निषेध संधि** (TPNW): इसे **2017** में संयुक्त राष्ट्र में अपनाया गया था और यह किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाती है।

उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में **खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने** से अचानक बाढ़ आ गई। यह **अलकनंदा नदी** की सहायक नदी है।

- इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में अब ज्यादा घटने लगी हैं। **2013 की केदारनाथ त्रासदी इसका एक बड़ा उदाहरण** है।

बादल फटना (Cloudburst) क्या होता है?

- यदि किसी जगह पर **एक घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश** हो जाती है, तो उसे बादल फटना कहा जाता है।
- बादल फटने की घटनाएं **बहुत छोटे दायरे और कम समय** में होती हैं। इसलिए इनका **पहले अनुमान लगाना मुश्किल** होता है।
- इनकी निगरानी के लिए **सघन रडार नेटवर्क्स या हाई-रिज़ॉल्यूशन वेदर मॉडल्स** की आवश्यकता होती है।
- ये घटनाएं मैदानों में भी घटित हो सकती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहां की **भौगोलिक संरचना इनकी संभावनाओं में वृद्धि** करती है।
- **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019** में बादल फटने से होने वाली आपदाओं के लिए जोखिम कम करने की रणनीति दी गई है।

हिमालयी राज्यों की संवेदनशीलता के लिए उत्तरदायी कारक

- **भौगोलिक:**
  - खड़ी ढलानें अरब सागर से आने वाली गर्म व नमी युक्त हवा को तेजी से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रक्रिया को **ओरोग्राफिक लिफ्ट** कहा जाता है।
  - इससे बड़े-बड़े **ऊँचे कपासी स्तरी (Cumulonimbus) बादल** बनते हैं, जो भारी मात्रा में बारिश करने में सक्षम होते हैं।
  - **जब ये बादल अत्यधिक नमी से भर जाते हैं और बारिश नहीं हो पाती, तो एक समय ऐसा आता है जब ये बादल फट** जाते हैं।
- **मानव-जनित:**
  - **वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण** भारत में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में समग्र वृद्धि हुई है।
  - **केदारनाथ बाढ़** पर एक अध्ययन में पाया गया कि उस दौरान हुई ज्यादातर वर्षा के लिए **ग्रीनहाउस गैसें और वायुमंडलीय प्रदूषक (एयरोसोल्स)** जिम्मेदार थे।

इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) ने ISA असेंबली के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किया

यह सत्र **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS)** और इसके **1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौते** के तहत ISA की स्थापना की **30वीं वर्षगांठ** के साथ संपन्न हुआ।

30वें सत्र के प्रमुख निर्णय

- **कॉमन हेरिटेज फंड** के विकास में प्रगति हुई। यह संधारणीयता, क्षमता-निर्माण और समान लाभ-साझाकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- **आर्थिक योजना आयोग** का संचालन शुरू किया गया, जो समुद्र नितल खनन के आर्थिक प्रभावों का आकलन करेगा और निवारण उपाय सुझाएगा।
- **1 नवंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय गहरा समुद्र नितल दिवस'** (International Deep Seabed Day) के रूप में अपनाया गया।

इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) के बारे में

- ISA **राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्र नितल के खनिज संसाधनों का प्रबंधन** करता है। **विश्व के महासागरों का लगभग 54% हिस्सा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत** आता है।
  - यह विश्व का **एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे गहरे समुद्री क्षेत्रों** पर केंद्रित है।
- ISA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खनन सहित गहरे समुद्र में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियां विनियमित हों और जिम्मेदारी से संचालित हों।
- **मुख्यालय:** किंग्स्टन, जमैका।
- **सदस्यता:** 170 (169 देश + यूरोपीय संघ); UNCLOS के सभी पक्षकार इसके सदस्य हैं।

ISA की कुछ हालिया पहलें

- **डीप-सी बायोबैंक पहल (DBI) 2025**
  - **उद्देश्य: राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नितल क्षेत्र** से गहरे समुद्र के जैविक नमूनों और आनुवंशिक डेटा तक **वैश्विक पहुंच** को बढ़ाना।
  - यह **गहरे समुद्र के जैविक नमूनों का एक वैश्विक भंडार** स्थापित करेगा, जो अनुसंधान और क्षमता-विकास गतिविधियों के लिए सुलभ होगा।
- **AREA2030:** 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल क्षेत्र का हाई-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण करना।
- **सतत समुद्र नितल ज्ञान पहल (SSKI):** गहरे समुद्र की प्रभावी सुरक्षा और प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक आधार को मजबूत करना।

भारत के विदेश मंत्री ने प्रथम बिम्सटेक पारंपरिक संगीत समारोह में निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का आह्वान किया

उन्होंने कहा कि सामूहिक इच्छा यह है कि एक निष्पक्ष और प्रतिनिधिक वैश्विक व्यवस्था हो, न कि कुछ **शक्तियों के प्रभुत्व से युक्त**।

- यह बयान अमेरिका द्वारा **भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ** लगाने की घोषणा की पृष्ठभूमि में आया है।

गैर-प्रतिनिधिक वैश्विक व्यवस्था

- **अमेरिकी प्रभुत्व: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक उदारवादी व्यवस्था को आकार देने में** अमेरिकी प्रभुत्व की अवधारणा केंद्र में रही है।
  - हाल के दशकों में अमेरिकी प्रभुत्व में सापेक्ष गिरावट आई है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:
    - उभरती शक्तियों जैसे चीन से आर्थिक प्रतिस्पर्धा,
    - रणनीतिक अति-विस्तार, और
    - बहुपक्षीय संस्थानों से पीछे हटना।
- **भू-राजनीतिक शक्ति के साधन के रूप में व्यापार:** इसमें विकसित देशों की टैरिफ नीतियां शामिल हैं, जैसे- यूरोपीय संघ का कार्बन टैक्स और व्यापार नीति के हिस्से के रूप में आर्थिक प्रतिबंध।
- **वैश्विक संस्थाओं में असमान प्रतिनिधित्व:** ग्लोबल साउथ का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व नहीं है।
- **अप्रभावी बहुपक्षवाद:** शक्तिशाली राष्ट्र बहुपक्षीय मंचों को दरकिनार कर देते हैं। इससे वास्तविक वैश्विक सहयोग कमजोर होता है और खंडित एवं हित-चालित वैश्विक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं।
- **डी-ग्लोबलाइजेशन और क्षेत्रीय एकीकरण:** शक्ति अधिक बिखरी हुई और ASEAN, QUAD, BRICS जैसे क्षेत्रीय गुटों में केंद्रित हो रही है।

आगे की राह

- **बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का विस्तार, ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का पुनर्गठन और ग्लोबल साउथ की अधिक भागीदारी।
- **समावेशी बहुपक्षवाद:** G-20, BRICS, IBSA जैसे समूहों को मजबूत करना और सहमति-आधारित निर्णय लेने की अनुमति देना।
- **मुद्दों पर आधारित सहयोग बढ़ाना:** शांति, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार जैसे वैश्विक मुद्दों का सहमति से समाधान करना।

WHO ने हेपेटाइटिस D को हेपेटाइटिस B और C की तरह कैंसरकारी माना

हेपेटाइटिस D एक कमजोर वायरस है, जिसे **प्रतिकृति के लिए हेपेटाइटिस B वायरस** (HBV) की आवश्यकता होती है।

- इसका अर्थ है कि हेपेटाइटिस D **केवल उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है, जिन्हें पहले से ही हेपेटाइटिस B है,** चाहे वह इसके साथ-साथ प्रभावित करे या बाद में।

हेपेटाइटिस वायरस के बारे में

- **वायरल हेपेटाइटिस (प्रकार A, B, C, D, और E) गंभीर लिवर संक्रमण** के प्रमुख कारण हैं।
- हालांकि, केवल **हेपेटाइटिस B, C, और D ही चिरकालिक संक्रमण** का कारण बन सकते हैं। इससे **लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर या कैंसर का जोखिम** अधिक होता है।
  - **हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा** (एक प्रकार का लिवर कैंसर) विश्व स्तर पर शीर्ष 10 कैंसरों में से एक है।
- **टीके की उपलब्धता:**
  - **हेपेटाइटिस C वायरस** के लिए कोई टीका उपलब्ध **नहीं** है।
  - **हेपेटाइटिस B** का टीका HDV (**हेपेटाइटिस D वायरस**) **संक्रमण से सुरक्षा** प्रदान करता है।
- **वैश्विक प्रभाव:**
  - **हेपेटाइटिस B, C और D से दुनियाभर में 300 मिलियन से ज्यादा** लोग प्रभावित होते हैं और **हर साल करीब 1.3 मिलियन** लोगों की मौत होती है।
  - इनसे ग्रसित अधिकतर लोगों को **पता ही नहीं होता कि उन्हें यह बीमारी है।**
- **प्रमुख पहलें:**
  - **भारत: राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम** (2018) का उद्देश्य SDG 3.3 के अनुरूप **2030 तक हेपेटाइटिस C को खत्म** करना है। साथ ही, इसके अन्य प्रकारों से होने वाली मौतों को भी कम करना है।
  - **वैश्विक: HIV, वायरल हेपेटाइटिस और यौन संचारित संक्रमणों पर WHO की वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्रक रणनीति (2022-2030)** का उद्देश्य लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में **वायरल हेपेटाइटिस का उन्मूलन** करना है।

हेपेटाइटिस से निपटने में प्रमुख चुनौतियां

- **कम निदान (डायग्नोसिस):** 2022 में केवल 13% **हेपेटाइटिस B और 36% हेपेटाइटिस C** मामलों का ही निदान हो पाया था।
- **खराब टीका कवरेज:** भारत में, टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होने के बावजूद, **हेपेटाइटिस B टीके का कवरेज सिर्फ 50% है।**
- **सीमित इलाज:** इलाज के लिए बहुत कम दवाएं उपलब्ध हैं, हालांकि **बुलेविर्टाइड** (Bulevirtide) जैसी नई दवाएं उम्मीद जगा रही हैं।

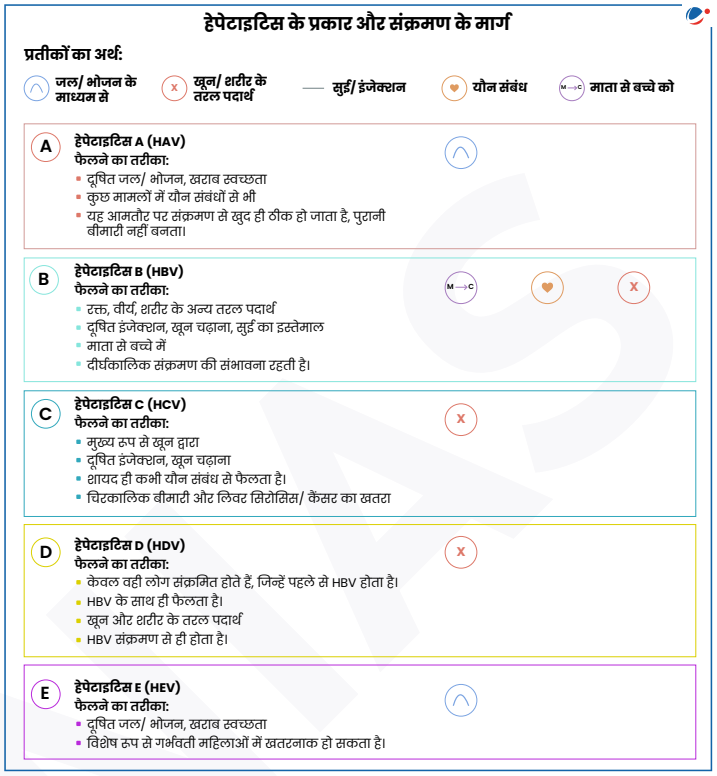

अन्य सुर्खियां

अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण

लोक-सभा ने गोवा विधानसभा में **अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया।**

अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण

- **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण:** संविधान का **अनुच्छेद 332** सभी राज्यों की विधानसभाओं में **अनुसूचित जातियों** और (असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर) अन्य सभी **अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है।**
- **असम के लिए विशेष प्रावधान:** विधानसभा में स्वशासी जिलों के लिए सीटें आरक्षित होंगी।
- **आनुपातिक प्रतिनिधित्व:** आरक्षित सीटें राज्य में **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए।**

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)

भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के सहयोग से नेपाल में **राइस फोर्टिफिकेशन** और **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन** को मजबूत करने के लिए एक **नई सहयोगात्मक पहल** शुरू की।

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) **के बारे में**

- यह दुनिया का **सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता** संगठन है। यह **लोगों का जीवन बचाने तथा उन्हें संघर्षों, आपदाओं और जलवायु आपदाओं से उबरने में मदद** करने के लिए खाद्य सहायता प्रदान करता है।
- **मुख्यालय:** रोम (इटली)।
- **स्थापना:** 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के संयुक्त प्रयासों से स्थापित हुई।
- **वित्त-पोषण:** इसे राष्ट्रीय सरकारों, कंपनियों और निजी दानदाताओं से स्वैच्छिक वित्तीय योगदान प्राप्त होता है।
- **सम्मान :** इसे 2020 में **नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया।

क्रिल (Krill)

क्रिल प्रजाति **मत्स्यन, जलवायु परिवर्तन और मछली आहार, पालतू पशु आहार तथा मानव सप्लीमेंट में उपयोग होने वाले इसके ओमेगा-3 तेल** की बढ़ती मांग के कारण बढ़ते दबाव को झेल रही है।

- गौरतलब है कि क्रिल **समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रजाति** है।

क्रिल के बारे में

- **प्रजातियाँ:** ये लघु आकार की और पेलाजिक (खुले समुद्र) **क्रस्टेशियन प्रजाति** हैं। ये मुख्य रूप से **अंटार्कटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत में** पाई जाती हैं।
- **पारिस्थितिकी तंत्र में भूमिका:** यह अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र की कीस्टोन प्रजाति है। इनका आहार प्लवक (प्लैंकटन) हैं। वहीं व्हेल, सील, स्क्विड और समुद्री पक्षियों के लिए **क्रिल आहार के प्राथमिक स्रोत हैं।**
- **व्यवहार:** ये बड़े-बड़े झुंडों में यात्रा करती हैं।
- एक अध्ययन में पाया गया कि क्रिल प्रजाति हर साल वायुमंडल से **20 मिलियन टन कार्बन को हटाने में भूमिका** निभाती हैं।

सी-बकथॉर्न

लद्दाख के शीत मरुस्थल (कोल्ड डेजर्ट) में उगाए जाने वाले **सी-बकथॉर्न** और **कुट्टू (बकव्हीट)** के बीज, **नासा के क्रू-11 मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन** पर किए जा रहे प्रयोगों का हिस्सा हैं।

सी बकथॉर्न के बारे में

- यह **पर्णपाती झाड़ी/वृक्ष** है। यह मृदा **की गुणवत्ता सुधारने, पवन गति और रेत के नियंत्रण तथा जल व मृदा संरक्षण** में सहायक एक प्रमुख प्रजाति है।
- यह अधिक **ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में अच्छी तरह से उग सकता** है।
- **उच्च पोषण मूल्य:** इसके फल (बेरी) में **विटामिन, कैरोटीनॉयड, पॉलीफेनॉल, फैटी एसिड और फाइटोस्टेरोल** प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं।
- **स्वास्थ्य के लिए उपयोगी:** इसकी बेरी में **एंटीऑक्सीडेंट, कैंसर-रोधी, सूजन-रोधी गुण** प्राप्त होते हैं जिसकी वजह से इसका उपयोग दवाओं के निर्माण और रोगों के इलाज में किया जाता है।

राष्ट्रपति शासन

संसद ने **मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी।**

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के बारे में

- यह तब लागू किया जाता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पा रही है। यह निर्णय **राज्यपाल की रिपोर्ट या किसी अन्य आधार** पर लिया जा सकता है।
- **प्रभाव:**
  - राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्यों; राज्यपाल या राज्य विधानमंडल के अलावा राज्य में किसी प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों (उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोड़कर) को अपने हाथ में ले सकते हैं।
  - राष्ट्रपति **घोषणा कर सकते हैं कि राज्य-विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग अब संसद करेगी।**
- **अवधि :**
  - राष्ट्रपति शासन को किसी नई उद्घोषणा के द्वारा **हटाया या परिवर्तित किया जा सकता है।**
  - इसे **अधिकतम 3 साल** तक लागू किया जा सकता है, लेकिन हर **6 महीने में संसद द्वारा अनुमोदन जरूरी** है।
- **उद्देश्य: राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए** संविधान में प्रावधान किए गए हैं।

'आवश्यकता की स्वीकृति' (Acceptance of Necessity)

भारत सरकार की **रक्षा खरीद परिषद (DAC)** ने लगभग **67,000 करोड़ रुपये मूल्य की रक्षा खरीद योजनाओं** वाली "आवश्यकता की स्वीकृति (AoN)" प्रस्ताव को मंजूरी दी।

- रक्षा खरीद परिषद की **अध्यक्षता रक्षा मंत्री** करते हैं। यह रक्षा मंत्रालय में नई नीतियों के निर्माण और रक्षा से जुड़ी पूंजीगत खरीद पर **निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था** है।

'आवश्यकता की स्वीकृति (AoN)' के बारे में

- यह **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP), 2020** के तहत सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में पहला कदम है।
- **प्रमुख प्रौद्योगिकियां जिन्हें AoN प्रदान की गई:**
  - BMP के लिए **थर्मल इमेजर-आधारित ड्राइवर नाइट साइट,** जिससे रात्रिकालीन आवाजाही और युद्ध तैयारी में सुधार होगा।
  - समुद्र के अंदर के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए **कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट।**
  - **'सक्षम'/'स्पाइडर' वायु रक्षा प्रणालियों को अपग्रेड** करना, ताकि उन्हें एकीकृत वायु कमान एवं नियंत्रण प्रणाली के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)

वनशक्ति बनाम भारत संघ मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दिया गया वह **छूट प्रावधान रद्द** कर दिया, जिसमें **औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल को पर्यावरण अनुकूल उपाय अपनाने पर पर्यावरणीय मंजूरी लेने से उन्मुक्ति** प्रदान की गई थी।

- शीर्ष न्यायालय ने कहा कि **20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी निर्माण परियोजनाएं** पर्यावरण को प्रभावित करती हैं और उन्हें **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन** अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के बारे में

- **20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी प्रस्तावित** निर्माण परियोजनाओं को कार्य शुरू करने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी लेना अनिवार्य है।
- **परियोजनाओं को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:**
  - **श्रेणी A:** जिनकी मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।
  - **श्रेणी B:** जिनकी मंजूरी राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा दी जाती है।

नीलगिरि तहर

केरल और तमिलनाडु द्वारा आयोजित संयुक्त गणना के अनुसार **नीलगिरि तहर की कुल संख्या 2,668** है।

नीलगिरि तहर के बारे में

- नीलगिरि तहर दक्षिण भारत में प्राप्त होने वाला "**खुर वाला एकमात्र पर्वतीय जानवर (Mountain ungulate)**' है। गौरतलब है कि भारत में '**खुर वाले पर्वतीय जानवरों' की 12 प्रजातियां** प्राप्त होती हैं।
- **यह तमिलनाडु का राज्य पशु (स्टेट एनिमल)** भी है।
- यह पश्चिमी घाट (तमिलनाडु और केरल) की **स्थानिक प्रजाति है।**
  - **इसकी सर्वाधिक संख्या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान** में प्राप्त होती है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **IUCN लाल सूची: एनडेंजर्ड।**
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची-1 में सूचीबद्ध।**
- **संरक्षण पहलें:**
  - **प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर:** तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया।
  - **नीलगिरि तहर दिवस:** 7 **अक्टूबर** को मनाया जाता है।
- **खतरे:** बागानों, अवसंरचना के विकास और भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण इनके पर्यावास को नुकसान पहुंच रहा है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

न्यूजीलैंड (राजधानी: वेलिंगटन)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली **रक्षा रणनीतिक वार्ता** नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और **द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा** हुई।

भौगोलिक अवस्थिति

- न्यूजीलैंड **दक्षिणी-पश्चिमी प्रशांत महासागर** में स्थित **द्वीपीय देश है।**
- **सीमावर्ती जल निकाय:** तस्मान सागर, प्रशांत महासागर।
- न्यूजीलैंड के दो मुख्य द्वीप हैं, **उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप।** इन दोनों द्वीपों को **कुक जलडमरूमध्य** अलग करता है।

भौगोलिक विशेषताएं

- **भू-आकृति:** यह **रिंग ऑफ फायर** का हिस्सा है। यहाँ **कैंटरबरी के जलोढ़ मैदान** आदि स्थित हैं।
- **सक्रिय ज्वालामुख :** माउंट रुपेहू; **व्हाइट आइलैंड,** आदि।
- **सबसे ऊंची चोटी:** माउंट कुक (दक्षिणी आल्प्स)।
- **प्रमुख नदियाँ:** वाइकाटो, क्लुथा, वांगानुई, आदि।
- यह **ज़ीलैंडिया** नामक एक **लघु महाद्वीप** का हिस्सा है।